



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 09/2014/परीक्षा/दिनांक 25/07/2014

प्रकाशन की तिथि 30/07/2014

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 30/07/2014 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 28/08/2014 रात्रि 11:59 बजे तक

## महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30/07/2014 को मध्याह्न 12:00 बजे से 28/08/2014 रात्रि 11:59 बजे तक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 29/08/2014 अपराह्न 12:00 बजे से 05/09/2014 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में नि:शक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान (₹)
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय)														15600-39100+7000
	एनाटॉमी ANATOMY	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	फिजियोलॉजी PHYSIOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	बायोकेमिस्ट्री BIOCHEMISTRY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	फार्माकोलॉजी PHARMACOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	पैथोलॉजी PATHOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	माइक्रोबायोलॉजी MICROBIOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	फॉरेंसिक मेडिसिन FORENSIC MEDICINE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	पी.एस.एम. COMMUNITY MEDICINE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	मेडिसिन MEDICINE	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	कार्डियोलॉजी CARDIOLOGY	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट T.B. and CHEST	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	चर्म एवं रतिज रोग DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and I FPROSY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	मनोरोग PSYCHIATRY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	शिशुरोग PAEDIATRICS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	सर्जरी SURGERY	5	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	11	
	एनेस्थेसियोलॉजी ANAESTHESIOLOGY	5	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	13	
	थोरेसिक सर्जरी THORACIC SURGERY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	अस्थिरोग ORTHOPAEDICS SURGERY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	नेत्ररोग OPHTHALMOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	ई.एन.टी. E.N.T.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	रेडियोग्राफिक्स RADIODIAGNOSIS	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	रेडियोथेरेपी RADIOTHERAPY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	मेडिकल फिजिक्स MEDICAL PHYSICS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	मेडिकल ऑनकोलॉजी MEDICAL ONCOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	दंत चिकित्सा DENTISTRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

स. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में नि:शक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान (₹)	
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
2	<b>प्रदर्शक (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>															
	एनाटॉमी ANATOMY	6	2	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	15	15600-39100+5400
	फिजियोलॉजी PHYSIOLOGY	6	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	14	
	बायोकेमिस्ट्री BIOCHEMISTRY	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	फार्माकोलॉजी PHARMACOLOGY	6	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	14	
	पैथोलॉजी PATHOLOGY	8	2	6	3	2	-	2	-	1 (OH)	-	-	-	-	19	
	माइक्रोबायोलॉजी MICROBIOLOGY	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
	फॉरेंसिक मेडिसिन FORENSIC MEDICINE	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
	पी.एस.एम. COMMUNITY MEDICINE	6	2	5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	15	
	मेडिसिन MEDICINE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट T.B. and CHEST	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	चर्म एवं रतिज रोग DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and I.FPROSY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	मनोरोग PSYCHIATRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	शिशुरोग PAEDIATRICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	सर्जरी SURGERY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	एनेस्थेसियोलॉजी ANAESTHESIOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	अस्थिरोग ORTHOPAEDICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	नेत्ररोग OPHTHALMOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ई.एन.टी. E.N.T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	रेडियोडायग्नोसिस RADIODIAGNOSIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	रेडियोथेरेपी RADIOTHERAPY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	<b>रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>															15600-39100+5400
	मेडिसिन MEDICINE	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट T.B. and CHEST	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	मनोरोग PSYCHIATRY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	शिशुरोग PAEDIATRICS	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	सर्जरी SURGERY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	अस्थिरोग ORTHOPAEDICS	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	ई.एन.टी. E.N.T.	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	एनेस्थेसियोलॉजी ANAESTHESIOLOGY	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	रेडियोडायग्नोसिस RADIODIAGNOSIS	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	रेडियोथेरेपी RADIOTHERAPY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	यूरोसर्जरी URO SURGERY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	थोरेसिक सर्जरी THORACIC SURGERY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
4	<b>सीनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>															
	चर्म एवं रतिज रोग DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and I.FPROSY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	सर्जरी SURGERY	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	अस्थिरोग ORTHOPAEDICS	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	रेडियोडायग्नोसिस RADIODIAGNOSIS	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	न्यूरोसर्जरी NEUROSURGERY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
5	<b>जूनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>															15600-39100+5400
	मनोरोग PSYCHIATRY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	न्यूरोसर्जरी NEUROSURGERY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
6	<b>सीनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>															15600-39100+5400
	मेडिसिन MEDICINE	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट T.B. and CHEST	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	चर्म एवं रतिज रोग DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and I.FPROSY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	मनोरोग PSYCHIATRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	शिशुरोग PAEDIATRICS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	सर्जरी SURGERY	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
	अस्थिरोग ORTHOPAEDICS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	नेत्ररोग OPHTHALMOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ई.एन.टी. E.N.T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	एनेस्थेसियोलॉजी ANAESTHESIOLOGY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	रेडियोडायग्नोसिस RADIODIAGNOSIS	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	

स. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में नि:शक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान ( ₹ )
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	दंतसंग	DENTISTRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	रेडियोथेरेपी	RADIOTHERAPY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	नेफ्रोलॉजी	NEPHROLOGY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	थोरैसिक सर्जरी	THORACIC SURGERY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	<b>जूनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	मेडिसीन	MEDICINE	7	2	5	2	2	-	1	-	1 (OH)	-	-	-	16
	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट	T.B. and CHEST	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	चर्म एवं रतिज रोग	DERMATOLOGY, VENEREOLOGY and I.FPROSY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	मनोरोग	PSYCHIATRY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	शिशुरोग	PAEDIATRICS	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	सर्जरी	SURGERY	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	अस्थिरोग	ORTHOPAEDICS	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	नेत्ररोग	OPHTHALMOLOGY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	कान, नाक, गला	E.N.T.	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	OBSTETRICS and GYNAECOLOGY	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	10
	एनेस्थेसियोलॉजी	ANAESTHESIOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	रेडियोडायग्नोसिस	RADIODIAGNOSIS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	थोरैसिक सर्जरी	THORACIC SURGERY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	<b>सहायक प्राध्यापक (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	ओरल एण्ड मैक्सिलोफैसियल सर्जरी	ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	ओरल एनाटॉमी	ORAL ANATOMY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	प्रोस्थोडोन्टिक्स काउन एंड ब्रिज	PROSTHODONTICS CROWN & BRIDGE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	पेरियोडोन्टिक्स	PERIODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स	CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	आर्थोडोन्टिक्स	ORTHODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	पिडोडोन्टिक्स	PEDODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री	COMMUNITY DENTISTRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	<b>सहायक प्राध्यापक (विलिनिकल मेडिकल) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	जनरल मेडिसीन	GENERAL MEDICINE	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	जनरल सर्जरी	GENERAL SURGERY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	एनेस्थेसियोलॉजी	ANAESTHESIOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	<b>सहायक प्राध्यापक (नॉन विलिनिकल मेडिकल) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	एनाटॉमी	ANATOMY	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	फिजियोलॉजी	PHYSIOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	बायोकेमिस्ट्री	BIOCHEMISTRY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	फार्माकोलॉजी	PHARMACOLOGY	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	पैथोलॉजी	PATHOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	माइक्रोबायोलॉजी	MICROBIOLOGY	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	<b>रेसीडेन्ट (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	ओरल मैक्सिलोफैसियल सर्जरी	ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ओरल पैथोलॉजी	ORAL PATHOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	प्रोस्थोडोन्टिक्स काउन एंड ब्रिज	PROSTHODONTICS CROWN & BRIDGE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	पेरियोडोन्टिक्स	PERIODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स	CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	आर्थोडोन्टिक्स	ORTHODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री	COMMUNITY DENTISTRY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	<b>डेंटल सर्जन (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)</b>														
	कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स	CONSERVATIVE DENTISTRY & ENDODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ओरल मैक्सिलोफैसियल सर्जरी	ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	पिडोडोन्टिक्स	PEDODONTICS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ओरल मेडिसीन एवं रेडियोलॉजी	ORAL MEDICINE and RADIOLOGY	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

स. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में नि:शक्तजन के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग	वेतनमान (₹)
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग महाविद्यालय)														
	सर्जिकल नर्सिंग	SURGICAL NURSING	6	2	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	14
	पिडियाट्रिक नर्सिंग	PEDIATRIC NURSING	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	साइकिएट्रिक नर्सिंग	PSYCHIATRIC NURSING	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग	COMMUNITY HEALTH NURSING	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी नर्सिंग	OBSTETRICS & GYNECOLOGY NURSING	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
14	प्रदर्शक (नर्सिंग महाविद्यालय)														
	मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग	MEDICAL SURGICAL NURSING	5	2	4	2	5	2	4	2	-	-	-	-	13
	पिडियाट्रिक नर्सिंग	PEDIATRIC NURSING	3	1	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-	8
	साइकिएट्रिक नर्सिंग	PSYCHIATRIC NURSING	3	1	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-	8
	कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग	COMMUNITY HEALTH NURSING	3	1	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-	8
	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी नर्सिंग	OBSTETRICS & GYNECOLOGY NURSING	6	2	4	2	6	2	4	2	-	-	-	-	14
15	सहायक प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)														
	ORTHOPEDIC MUSCULOSKELETAL DISORDER/ COMMUNITY BASE REHABILITATION/ NEUROLOGY/ CARDIO RESPIRATORY/SPORTS MEDICINE		1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	प्रदर्शक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)														
	फिजियोथेरेपी	PHYSIOTHERAPY	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	आर्थोटिस्ट	ORTHOTIST	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	आव्युपेशनल प्रोस्थोटिस्ट	OCCUPATIONAL PROSTHOTIST	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा)		4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9
कुल पद :-														568	

Abbreviations:- OH = Orthopedic Handicapped (अस्थि बाधित)

### महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- नि:शक्तजन का प्रकार:-छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अस्थि बाधित नि:शक्तजन ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों में आरक्षण :-
  - उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।
  - छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा/चयन के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह

(Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

### (2) पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/पंजीयन:-

(A) सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय):-  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)

### (a) ANATOMY:-

(i) Academic Qualifications:- M.S. (Anatomy)/M.D. (Anatomy)/MBBS with M.Sc. (Anatomy)/M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph.D. (Med. Anatomy)/M.Sc. (Med. Anatomy)/with D.Sc. (Med. Anatomy).

### (ii) Teaching/Research Experience:-

- Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.
- Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.

(iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.

### (b) PHYSIOLOGY:-

(i) Academic Qualifications:- M.D. (Physiology) MBBS with M.Sc. (Physiology)/M.Sc. (Med. Physiology) with Ph.D. (Med. Physiology)/M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology).

### (ii) Teaching/Research Experience:-

- Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.
- Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.

(iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.

### (c) BIOCHEMISTRY:-

(i) Academic Qualifications:- M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Med. Biochemistry) M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry).

- chemistry).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (d) **PHARMACOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (e) **PATHOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Pathology)/Ph.D. (Pathology)/D.Sc. (Pathology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (f) **MICROBIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Bacteriology)/M.D. (Microbiology)/MBBS with M.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Microbiology)/Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (g) **FORENSIC MEDICINE:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Forensic Med.).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (h) **P.S.M.:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Social & Preventive Medicine) M.D. (Community Med.).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (i) **MEDICINE:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Medicine) M.D. General Medicine.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (j) **CARDIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** D.M. (Cardiology)
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised specialisation qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the Cardiology in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (k) **T.B. and CHEST:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Tuberculosis)/M.D. (TB & Respiratory Dise.)/M.D. (Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (l) **DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Derm. & Ven.) M.D. (Derm., Ven. & Leprosy)/M.D. (Dermatology)/M.D. (Derm. Including Ven.)/M.D. (Derm. including Ven./Lep) M.D. (Medicine with D.V.D. Or D.D.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (m) **PSYCHIATRY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Psychiatry)/M.D. (Psychological Med.)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (n) **PAEDIATRICS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Paediatrics).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (o) **SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Surgery)/M.S. (General Surgery).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (p) **ANAESTHESIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (q) **THORACIC SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.Ch. (Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/M.Ch. (Cardiac Surgery)/M.Ch. (Vascular Surgery)/M.Ch. (Thoracic Surgery).

- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (r) **ORTHOPAEDICS SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Orthopaedics).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (s) **OPHTHALMOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Ophthalmology)/M.D. (Ophthalmology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (t) **E.N.T.:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Oto-Rhino-Laryngology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (u) **OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Obst. & Gynae.)/M.S. (Obst. & Gynae.).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (v) **RADIO DIAGNOSIS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Radio-Diagnosis)/M.D. (Radiology)/M.S. (Radiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (w) **RADIOTHERAPY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Radio-Diagnosis)/M.D. (Radiology)/M.S. (Radiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (x) **MEDICAL PHYSICS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (P.M.R.)/M.D. (Medicine) with Diploma in PMR/ M.S. (General Surgery)/M.S. (Orthopaedics) with two years special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (y) **MEDICAL ONCOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** D.M. (Medical Oncology)/M.D. (Medicine) or M.D. (Radio-therapy) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special training in Medical Oncology.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised specialisation qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the Medical Oncology in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (z) **DENTISTRY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D.S.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (B) **प्रदर्शक (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)
- (a) **ANATOMY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS/M.Sc. (Medical Anatomy) for non-medical persons.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (b) **PHYSIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS/M.Sc. (Medical Physiology) for non-medical persons.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (c) **BIOCHEMISTRY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS/M.Sc. (Medical Biochemistry) for non-medical persons.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (d) **PHARMACOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS/M.Sc. (Medical Pharmacology) for non-medical persons.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (e) **PATHOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (f) **MICROBIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS/M.Sc. (Medical Microbiology) for non-medical persons.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (g) **FORENSIC MEDICINE:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (h) **P.S.M.:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (i) **MEDICINE:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.

- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (j) **T.B. and CHEST:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (k) **DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (l) **PSYCHIATRY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (m) **PAEDIATRICS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (n) **SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (o) **ANAESTHESIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (p) **ORTHOPAEDICS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (q) **OPHTHALMOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (r) **E.N.T.:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (s) **OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (t) **RADIODIAGNOSIS:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (u) **RADIOTHERAPY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (C) **रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**MEDICINE, T.B. and CHEST, PSYCHIATRY, PAEDIATRICS, SURGERY, ORTHOPAEDICS, E.N.T., OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ANAESTHESIOLOGY, RADIODIAGNOSIS, RADIOTHERAPY, URO SURGERY, THORACIC SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (D) **सीनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)
- DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY, SURGERY, ORTHOPAEDICS, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, RADIODIAGNOSIS :-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (E) **जूनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**PSYCHIATRY, NEUROSURGERY :-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (F) **सीनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**MEDICINE, T.B. and CHEST, DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY, PSYCHIATRY, PAEDIATRICS, SURGERY, ORTHOPAEDICS, OPHTHALMOLOGY, E.N.T., OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ANAESTHESIOLOGY, RADIODIAGNOSIS, DENTISTRY, RADIOTHERAPY, NEPHROLOGY, THORACIC SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (G) **जूनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**MEDICINE, T.B. and CHEST, DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY, PSYCHIATRY, PAEDIATRICS, SURGERY, ORTHOPAEDICS, OPHTHALMOLOGY, E.N.T., OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, ANAESTHESIOLOGY, RADIODIAGNOSIS, THORACIC SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** MBBS.
- (ii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (H) **सहायक प्राध्यापक (दंत चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)  
**ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY, ORAL ANATOMY, PROSTHODONTICS CROWN & BRIDGE, PERIODONTICS, CONSERVATIVE DENTISTRY and ENDODONTICS, ORTHODONTICS, PEDODONTICS, COMMUNITY DENTISTRY:-**
- (i) A Recognised MDS degree of an Indian University/Diplomate of National Board or an equivalent Qualification.
- (ii) Registration in Dental Council.
- (I) **सहायक प्राध्यापक (क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)
- (a) **GENERAL MEDICINE :-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Medicine) M.D. General Medicine.
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
(I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
(II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (b) **GENERAL SURGERY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Surgery)/M.S. (General Surgery).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
(I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
(II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (c) **ANAESTHESIOLOGY:-**

- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (I) **सहायक प्राध्यापक (नॉन क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)
- (a) **ANATOMY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.S. (Anatomy)/M.D. (Anatomy)/MBBS with M.Sc. (Anatomy)/M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph.D. (Med. Anatomy)/M.Sc. (Med. Anatomy)/with D.Sc. (Med. Anatomy).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (b) **PHYSIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Physiology) MBBS with M.Sc. (Physiology)/M.Sc. (Med. Physiology) with Ph.D. (Med. Physiology)/M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (c) **BIOCHEMISTRY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Med. Biochemistry) M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (d) **PHARMACOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D. (Med. Pharmacology)/ M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (e) **PATHOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Pathology)/Ph.D. (Pathology)/D.Sc. (Pathology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (f) **MICROBIOLOGY:-**
- (i) **Academic Qualifications:-** M.D. (Bacteriology)/M.D. (Microbiology)/ MBBS with M.Sc. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Microbiology)/ Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology).
- (ii) **Teaching/Research Experience:-**  
 (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.  
 (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
- (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.
- (J) **रेसीडेन्ट (दंत चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY, ORAL PATHOLOGY, PROSTHODONTICS CROWN & BRIDGE, PERIODONTICS, CONSERVATIVE DENTISTRY and ENDODONTICS, ORTHODONTICS, COMMUNITY DENTISTRY:-**
- (i) Post Graduate Degree in Dentistry or Graduate in Dentistry with 3 years experience with BDS.  
 (ii) Registration in Dental Council.
- (K) **डेन्टल सर्जन (दंत चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**CONSERVATIVE DENTISTRY and ENDODONTICS, ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY, PEDODONTICS, ORAL MEDICINE and RADIOLOGY:-**
- (i) Post Graduate Degree in concerned subject or Graduate Degree in Dentistry with 3 years experience.  
 (ii) Registration in Dental Council.
- (L) **सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)  
**MEDICAL SURGICAL NURSING, PEDIATRIC NURSING, PSYCHIATRIC NURSING, COMMUNITY HEALTH NURSING, OBSTETRICS & GYNECOLOGY NURSING:-**
- (i) Post Graduate Degree in Concerned Subject.  
 (ii) 3 Years Teaching Experience.  
 (iii) Live Registration in CG State Nursing Council.
- (M) **प्रदर्शक (नर्सिंग महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
**SURGICAL NURSING, PEDIATRIC NURSING, PSYCHIATRIC NURSING, COMMUNITY HEALTH NURSING, OBSTETRICS & GYNECOLOGY NURSING:-**
- (i) PG Degree in Nursing.  
 OR  
 Graduate Degree in Nursing with 3 years Clinical/Teaching experience from Govt. or Govt. recognized Training Institute.  
 OR  
 Post Basic graduate in Nursing with 3 years Clinical/Teaching experience (Before or After) from Govt. or Govt. recognized Training Institute.  
 (ii) Live Registration in CG State Nursing Council.
- (N) **सहायक प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, प्रथम श्रेणी)
- (a) **ORTHOPEDIC MUSCULOSKELETAL DISORDER/ COMMUNITY BASE REHABILITATION/ NEUROLOGY/ CARDIO-RESPIRATORY/SPORTS MEDICINE :-**
- (i) Bachelor Degree in Physiotherapy (B.P.T./B.Th./P.B.P.Th.), Masters in Physiotherapy (M./P.Th./M.Th.P./M.Sc. P.T./M.P.T.) with at least 55% marks (or equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from recognized University.  
 (ii) Registration in Chhattisgarh State Council.
- (O) **प्रदर्शक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय):-**  
 (सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)
- (a) **PHYSIOTHERAPY :-**



- (i) Graduate Degree in Physiotherapy.  
(ii) Registration in Chhattisgarh State Council.  
**(b) ORTHOTIST:-**  
(i) Graduate Degree in Orthotist.  
(ii) Registration in Rehabilitation Council of India.  
**(c) OCCUPATIONAL:-**  
(i) Graduate Degree in Occupational Therapy.  
(ii) Registration in Chhattisgarh State Council.  
**(d) PROSTHOTIST:-**  
(i) Graduate Degree in Prosthotist.  
(ii) Registration in Rehabilitation Council of India.  
**(P) प्रशासनिक अधिकारी (चिकित्सा महाविद्यालय):-**  
(सेवा श्रेणी:- राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी)  
(i) Graduate Degree from any Recognized University with passed Account Training or has done CA/Sub-ordinate Account Service.

**महत्वपूर्ण नोट:-**

- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अनुभव का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।  
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।  
(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।  
(4) निर्धारित आयु सीमा :-  
★ सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय), प्रदर्शक (चिकित्सा महाविद्यालय), रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय), सीनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय), जूनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय), सीनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय), जूनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय), सहायक प्राध्यापक (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), सहायक प्राध्यापक (क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), सहायक प्राध्यापक (नॉन क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), रेसीडेन्ट (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), डेन्टल सर्जन (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), सहायक प्राध्यापक (नर्सिंग महाविद्यालय), प्रदर्शक (नर्सिंग महाविद्यालय) के लिए:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो,  
★ सहायक प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय), प्रदर्शक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय), प्रशासनिक अधिकारी (चिकित्सा महाविद्यालय) के लिए:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2014 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो,  
परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।  
उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-  
(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।  
(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।  
(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से

अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम- स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।  
(v) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।  
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-1-2- /2002 /1 /3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1-2 /2002 /1 /3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।  
(vii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।  
(viii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।  
(ix) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
(x) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सर्वप्रथम सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
(xi) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।  
(xii) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2002 /1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

**महत्वपूर्ण टीप:-**

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2002 /1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2002 /1-3 रायपुर दिनांक 27.09.2013 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40

वर्ष होगी, परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ii) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2014 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो

निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-

- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi), एवं 4(vii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4(xii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- (ii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iii) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी—
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा—
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
- परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
- (9) अनर्हता:— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :—
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ढहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र

नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (vi) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।
- (10) चयन प्रक्रिया :— विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा अथवा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:— यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:—

- (i) उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम रोजगार और नियोजन में प्रकाशित किया जाएगा।
- (11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :—
- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए रुपये 300/— (रुपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/— (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।
- (ii) अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विज्ञापित पदों के लिए योग्यतानुसार आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदित पद हेतु निर्धारित कॉलम में पद का उल्लेख करना होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर भी आवेदन शुल्क एक ही लगेगा।
- (12) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में:— (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
- (i) परीक्षा पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में विशेष निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (ii) आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) ऑनलाइन परीक्षा पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर मॉडल उत्तर अपलोड किए जाने के 1 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी ऑनलाइन दावा—आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन दावा—आपत्ति के समर्थन में प्रेषित दस्तावेज आयोग को मॉडल उत्तर जारी होने के 10 दिनों के भीतर अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। विलंब से प्राप्त दावा—आपत्तियों व संबंधित दस्तावेजों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (13) यात्रा व्यय का भुगतान :—
- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

- (ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार **कंडिका 13(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (14) **विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):**—  
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही /—  
सचिव  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर

**परिशिष्ट - एक****ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी**

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

ऑनलाइन आवेदन में उस अंकसूची का रोल नंबर जिसे आवेदक द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आवेदक द्वारा स्वयं प्रविष्टि किया जाए। यह रोल नंबर किसी भी व्यक्ति को न बताएं, Edit की सुविधा हेतु यह रोल नंबर पासवर्ड की तरह प्रयुक्त होगा।

- (1) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- (2) **Help Desk Number - 9981996587, 9981996597**  
ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य किसी सहायता के लिए उक्त नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
- (3) ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (4) आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फारमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साइज 100Kb से अधिक न हो।
- (5) आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को पूरा करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के निचले हिस्से में स्थित **Browse** बटन को क्लिक कर फोटो व हस्ताक्षर अटैच करना होगा। **Browse** बटन दबाने पर आवेदक को स्केन कर **save** की हुई **jpg** इमेज का **address** सेलेक्ट कर **Ok** बटन दबाना होगा।
- (6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन **Submit** करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट

होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को **Submit** बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।

- (8) ऑनलाइन आवेदन **Submit** करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले **Page** पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त **Page** पर उपलब्ध **Print** बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 30/- का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

- (10) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
  - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये देय होगा।
  - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा 30/- रुपये का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
  - (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 30/- के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
  - (iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

**ऑनलाइन आवेदन संबंधी शुल्क जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी**

ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में आवेदन तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक स्वयं क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से कर सकता है।

**(1) आवेदन व परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**

आवेदक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए आवेदित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक को क्लिक कर विशेष वेब पेज पर जा सकते हैं जिस पर ऑनलाइन प्रक्रिया से सम्बंधित निम्न **Links** उपलब्ध होंगे-

**Click here to View/Print Advertisement**

**Click here to Apply Online**

**Click here to know your Application No.**

**Click here to Edit Unpaid Application**

**Click here to Pay for Unpaid Application**

**Click here to View/Print Duplicate Reciept**

[Click here for Editing in Online Application](#)  
[Click here to View/Print List of Rejected Applications](#)  
[Click here to View/Print Online Admit Card](#)

आवेदक आवेदन भरने से पहले [Click here to View/Print Advertisement](#) को क्लिक कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें, इसके उपरांत ही आवेदक [Click here to Apply Online](#) को क्लिक करें। इसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है।

आवेदक को फार्म पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसके माध्यम से आवेदक को अपना नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। अटैचमेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी गई है।

आवेदक आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। आवेदक आवेदन क्रमांक को नोट कर लें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भी यदि आवेदक ने शुल्क का भुगतान न किया हो तो वे [Click here to Edit Unpaid Application](#) लिंक को **Click** कर अपनी प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे:-

- क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग

(i) **क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-** आवेदन भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान सूची में शामिल किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद बैंक का नाम तथा कार्ड का प्रकार चुनने का विकल्प दिखाई देगा उचित चयन के पश्चात बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत **Confirm** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटरआईड रसीद प्राप्त होगी। रसीद पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी का उल्लेख होगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा।

(ii) **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-** परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से भी किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवेदन भरने के उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर **Citizen Option** को **Click** करना है जिससे एक **Window Open** होगा उसमें **Guest User** को **Select** कर **Process Button Click** करना है। इसके बाद यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी, पासवर्ड

डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर रसीद दिखाई देगी। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें।

(कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

**नोट:-**

(i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदकों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

**प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-**

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 21 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु **मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिडस/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

----- फोटो सह हस्ताक्षर अटैचमेंट हेतु आवश्यक निर्देश -----

आवेदक निम्न बॉक्स का प्रयोग फोटो चिपकाकर तथा हस्ताक्षर कर स्कैन करने हेतु कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आवेदक पूरे पेज की स्कैनिंग न करें। केवल फोटो तथा हस्ताक्षर युक्त बॉक्स की ही स्कैनिंग की जाए।

आवेदक इस बॉक्स के अंदर अपना फोटो चिपकाएं →

Size : 4.5cm X 3.5cm

आवेदक इस बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करें →

टीप:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद / हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि फोटोग्राफर द्वारा प्रिंट की हुई होनी चाहिए।
- (2) आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बाक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फॉरमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साइज 100Kb से अधिक न हो।